न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—138/2014/223 (2014/00172)

1. भंवरलाल दत्तक पुत्र स्व0 कल्याण मल उर्फ कल्ला, जाति ब्राहम्ण, नि0 ग्राम भोगादीत, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती फूला बवेा कल्याणमल उर्फ कल्ला,
2. हरि पुत्र स्व0 हीरालाल,
3. रतन पुत्र स्व0 हीरालाल,
4. मदन पुत्र स्व0 हीरालाल,
   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम फरासिया, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
5. जगदीश पुत्र सूरजमल, जाति ब्राहम्ण, निवासी देवडूंगरी, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।
6. अमरचन्द पुत्र गोविन्दराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम भोगादीत, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर । (फौत) जरिये वारिसानः—
   6/1— भंवरीदेवी पत्नि अमरचन्द,
   6/2— सुमेरचन्द पुत्र अमरचंद,
   6/3— भागचंद पुत्र अमरचंद,
   6/4— कोशल्या पुत्री अमरचंद,
   6/5— सुमित्रा देवी पुत्री अमरचंद,
   6/6— दुर्गादेवी पुत्री अमरचंद,
   6/7— संतोष देवी पुत्री अमरचंद,
   6/8— पुष्पादेवी पुत्री अमरचंद
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी उंटड़ा रोड़ रेल्वे फाटक के पास, कृष्णापुरी मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।
7. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर,
8. श्रीमती नौरती बेवा रामेश्वर,
9. पार्वती पुत्री रामेश्वर,
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी कृष्णापुरी, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।
10. उप पंजीयक, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 27.3.2014 अंतर्गत वाद संख्या 37/2011.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. श्री करतारसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 10 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 व 11.

निर्णय

दिनांकः— 31.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.3.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया कि वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के ससुर व दादा/पिता सूर6जमल की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 197 रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 371 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा ग्राम भोगादीत तहसील किशनगढ़ में अवस्थित है । उक्त आराजियात पैतृक आराजियात है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6, 1/6 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/3 हिस्सा है । वादी प्रतिवादी संख्या 1 का दिनांक 26.6.1979 के पंजीकृत गोदनामे के आधार पर दत्तक पुत्र है एवं स्व0 सूरजमल का पौत्र है । इस कारण विधिक प्रावधानों के अनुसार उसका वादग्रस्त आराजियात में 1/6 हिस्सा कानूनन बनता है तथा वादी स्व0 कल्याणमण उर्फ कल्ला के बचपन में ही गोद चले जाने के कारण उसके पिता की आराजी में उसका हक हिस्सा समाप्त हो चुका है । इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का विवादित आराजी में 1/9, 1/9 हिस्सा कानूनन बनता है । इस प्रकार खसरा संख्या 191, 193, 194, 195 व 199 कुल कुल किता 5 कुल रकबा 27 बीघा 9 बिस्वा जो ग्राम भोगादीत तह0 किशनगढ़ में अवस्थित है उक्त कृषि भूमियों में भी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर—बराबर 1/12, 1/12 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का 1/18, 1/18 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 10 का 1/16, 1/6 हिस्सा निहित है । वादी प्रतिवादी संख्या 1 का गोद पुत्र है इसलिये पैतृक सम्पति में उसका 1/12 हिस्सा बनता है । वाद में अपना पारिवारिक सजरा पेश निवेदन किया कि सूरजमल की खातेदारी की आराजी में विरासत नामांतकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम स्वीकृत हो गया है जिसका नाजायज फायदा उठाकर वह इसको विक्रय करने पर उतारू है । इस बाबत् उसने बेचान करने की धमकी दी है । अतः वाद स्वीकार कर वाद की मद संख्या 1 व 2 में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदारी घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे। अधी0न्याया0 ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 तथा 4 लगायत 10 ने जवाब प्रस्तुत किया साथ ही प्रतवादी संख्या 4 मदन ने जवाब के साथ काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया । उक्त वाद एवं काउन्टर क्लेम के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी ने उपरोक्त वाद अपने आपको स्व0 कल्याणमल का दत्तक पुत्र मानते हुए पेश किया है जबकि वादी स्व0 कल्याणमल का दत्तक पुत्र नहीं है, न ही

स्व0 कल्याणमल ने अपने जीवनकाल में कभी वादी को गोद लिया है । अतः वादी का वाद वादकारण नहीं होने से खारिज किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.3.2014 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को अपना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था, उक्त अधिकार केवल न्यायालय के हक व अधिकारों का है । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने अपना जवाबदावा पेश कर दिया था, साथ ही रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 10 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया था तो इसके उपरांत कानूनी प्रक्रिया अनुसार जवाबदावा आने के बाद तनकियात कायम कर वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य लिये जाने के उपरांत का निर्णय गुणावगुण पर पारित किया जाना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत वाद तभी खारिज किया जा सकता है ज बवह आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में आता हो, यहां पर आदेश 7 नियम 11 में जो आधार प्रतिवादी संख्या 1 ने लिये है उन पर तनकियात कायम कर उस साक्ष्य लेने के उपरांत ही निर्णय हो सकता है । पूर्व में अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रथमदृष्टया यह माना है कि अपीलांट रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 26.6.1979 के आधार पर उसकी माता के हिस्से में उसका 1/2 हिस्सा बनता है इसलिये वह कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तथा विवादित आराजी को बेचान नहीं करे तथा गोदपुत्र से इंकार करती है तो यह सब साक्ष्य लेने के उपरांत ही निर्णित किया जावेगा किन्तु इसके बाद नवीन पीठासीन अधिकारी ने उक्त सभी तथ्यो को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद होने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में दर्ज संपूर्ण हिस्से को क्रेता सूजा को दिनांक 17.12.2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर चुका है जो भी हक अधिकार थे वह समाप्त हो चुके थे, इसलिये उसको आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई हक व अधिकार नहीं रह गया था तथा जब क्रेता ने वाद में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था तो उसको निर्णित किये बिना आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद को खारिज करने में अधी0न्याया0 ने भारी त्रुटि कारित की है । प्रतिवादी संख्या 1 ने अपीलांट के गोदनामे दिनांक 26.6.1979 को निरस्त कराने हेतु वाद प्रस्तुत कर रखा है एवं पूर्व में एक वाद फूला ने अपने देवर, जेठ, पर वर्ष 1980 में फूला बनाम जगदशी प्रसाद प्रस्तुत किया था, जो वाद संख्या 28/80 है जिसमें वादिया फूला ने अपने बयान पी0डब्ल्यू0 1 में न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया है कि भंवरलाल को गोद लिया था अभी मैं जिन्दा हूं इसलिये मैने भंवरलाल का नाम नामांतकरण में नहीं लिखवाया है साथ ही गोदनामे व अन्य दस्तावेजों में जो उसकी अंगूठा निशानी है उन सब

की न्यायालय द्वारा एमत्रएस0एल0 जांच रिपोर्ट भी मंगवाल ली गई है जो गोदनामे की अंगूठा निशानी सही पाई गई है । यह सभी दस्तावेजी साक्ष्य तनकीयात विचरित होने व साक्ष्य में प्रकरण आता तब प्रस्तुत की जाती लेकिन पत्रावली वहां तक पहुंचे बिना ही उससे पूर्व अधी0न्याया0 ने वाद को प्रारंभिक स्टेज पर खारिज करने में भूल की है । बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने काउन्टर क्लेम के जरिये वादी का विरासत के जरिये जो अंकन किया गया है उसको हटाया जाकर 1/9, 1/9 हिस्सेकी डिक्री चाही है जिससे भी स्पष्ट है कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 का गोदपुत्र है लेकिन अधी0न्याया0 ने राजस्व रिकार्ड में जायंदा पिता का नाम दर्ज होने के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.3.2014 एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को निरस्त कर वाद को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 683, डी0एन0जे0 राज0 2010 (3) पेज 1283, डी0एन0जे0 राज0 2010 (1) पेज 221, डी0एन0जे0 राज0 2012 (3) पेज 1569, डी0एन0जे0 राज0 2012 (3) पेज 1407, डी0एन0जे0 राज0 2012 (2) पेज 806, डी0एन0जे0 राज0 2013 (3) पेज 1219 एवं डी0एन0जे0 सुप्रीम कोर्ट 2015 पेज 242 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद में स्वंय को स्0 कल्याणमल का दत्तक पुत्र की हैसियत से पेश किया है किन्तु अपीलांट स्व0 कल्याणमल का दत्तक पुत्र नहीं है क्योंकि यदि वह कल्याणमल का दत्तक पुत्र होता तो वर्ष 2007 में राजस्व प्रकरण में स्वंय को हीरालाल का पुत्र अंकित नही करता । अपीलांट कल्याणमल का दत्तक पुत्र नहीं होने से उसे कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है । बहस में यह भी कथन किया कि एक अन्य राजस्व वाद संख्या 40/2011 भंवरलाल बनाम श्रीमती फूला व अन्य के नाम से धारा 88, 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 का प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का दिनांक 24.5.2011 को अधी0न्याया0 द्वारा स्वीकार कर उक्त प्रकरण को भी वाद कारण के अभाव में चलने योग्य नहीं मानकर उक्त वाद को भी खारिज किया है । बहस में आगे कथन किया कि भंवरलाल राजकीय सेवा में है तथा उसके राजकीय समस्त दस्तावेजात में उसके मूल पिता हीरालाल का नाम अंकित है यदि वह कल्याणमल के गोद गया होता तो उसके पिता का नाम कल्याणमल अंकित होता न कि हीरालाल । इसी प्रकार अपीलांट के अन्य दस्तावेजात राशनकार्ड, वोटिंग लिस्ट, जमाबंदी सभी दस्तावेजों में पिता का नाम हीरालाल अंकित है जिनसे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट कभी भी कल्याणमल के गोद नहीं गया था तथा अपीलांट ने गलत तरीके से गोदनामा तैयार किया है । गोदनामा विवादित होने से अपीलांट गोदनामे को सक्षम न्यायालय से प्रमाणित कराये बिना किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । अपीलांट स्व0 कल्याणमल का दत्तक पुत्र नहीं होने से उसे कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है । ऐसी स्थिति में वाद कारण उत्पन्न नहीं होने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवीद/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद को प्रारंभिक स्टेज पर निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में ए0आई0आर0 झारखण्ड 2008 पेज 12 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष स्वंय को स्व0 कल्याणमल का दत्तक पुत्र बताते हुए वाद पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 द्वारा जरिये सम्मन/नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 4 लगायत 10 ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थिती दी तथा अपना जवाब पेश किया । प्रतिवादी संख्या 4 मदन ने जवाब के साथ काउन्टर क्लेम पेश किया जिसमें वादी/अपीलांट को कल्याणमल के गोद पुत्र जाना बताते हुए उसके जायंदा पिता की कृषि भूम में हक व अधिकार समाप्त होना बताते हुए 1/9 हिस्से की खातेदारी की घोषणा जरिये काउन्टर क्लेम चाही । उक्त समस्त कार्यवाही के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि वादी/अपीलांट कल्याणमण का दत्तक पुत्र नहीं है जिससे वादी को स्व0 कल्याणमल की आराजियात बाबत् कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है । अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है ।

7. इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा वादपत्र पेश किये जाने के उपरांत प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया था तथा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा काउन्टर क्लेम भी पेश किया गया था । जब अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश हो चुका था तो अधी0न्याया0 को चाहिये था कि वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उठाये गये ऐतराज के संबंध में तनकीयात कायम करते तथा उक्त तनकियात पर पक्षकारान को साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को स्वीकार कर वाद को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को स्वीकार किया था जिसमें प्रथम दृष्टया रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 26.6.1979 के आधार पर उसकी माता के हिस्से में उसका 1/2 हिस्सा बनना माना है इसीलिये अधी0न्याया0 ने वह कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तथा विवादित आराजी को बेचान नहीं करे तथा गोदपुत्र से इंकार करती है तो यह सब साक्ष्य लेने के उपरांत ही निर्णित किया जावेगा । एक तरफ तो अधी0न्याया0 गोदपुत्र संबंधी विषय को बाद साक्ष्य निर्णित करना उचित मानता है वहीं दूसरी तरफ अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी/अपीलांट को गोदपुत्र के आधार पर कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होना मानते हुए वाद को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 का यह आदेश विरोधाभासी है । अपीलांट स्व0 कल्याणमल का दत्तक पुत्र है अथवा नहीं इसका परीक्षण वाद में तनकी कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई समुचित अवसर प्रदान कर ही किया जा सकता था किन्तु अधी0न्याया0 ने उपरोक्त विधिक प्रकिया अपनाये बिना मात्र तकनीकी आधार पर वाद को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

8. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.3.2014

निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.3.2014 एवं प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर